राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1652/2009 जयपुर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, वार्ड–प्रथम,वृत–द्वितीय,राज0 जयपुर .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स संजीव इण्डस्ट्रीयल कॉरपोरेशन,
विश्वकर्मा इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ कैम्प जयपुर

खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थितः–

श्री एन.के.बैद
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी–विभाग की ओर से

श्री अलकेश
अधिकृत अभिभाषक .....प्रत्यर्थी–व्यवहारी की ओर से

निर्णय दिनांक 28.03.2017

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स)चतुर्थ, वाणिज्यिक कर जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 232/अपील्स–IV/2007–08 में पारित आदेश दिनांक 11.05.2009 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा उन्होनें सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उडनदस्ता–तृतीय, जयपुर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.10.1998 के अन्तर्गत राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 78(5) के अन्तर्गत आरोपित शास्ति 54,675/– को अपास्त किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि सशक्त अधिकारी द्वारा दिनांक 07.10.1998 को अजमेर–जयपुर रोड पर वाहन संख्या RJ-19G-5855 को रोक कर चैक किया गया। वाहन चालक द्वारा वाहन में लदे माल के समर्थन में डी.सी.एम कार्गो मूवर्स की बिल्टी नं. 0489, मैसर्स एम.जे.ट्रेडिंग कम्पनी, मुम्बई की इन्वॉइस संख्या MJT-032-98-99 दिनांक 04.10.1998 कीमतन रुपये 2,49,580/–टिन प्लेट शीट्स की प्रस्तुत की गई। इन दस्तावेजों के अलावा वाहन चालक की केबिन में डी.एस.एम कार्गो मूवर्स की बिल्टी नं. 0489 दिनांक 05.10.1998 व मैसर्स एम.जे.ट्रेडिंग कम्पनी मुम्बई की इन्वॉइस संख्या MJT-032-98-99 दिनांक 05.10.1998 कीमतन 2,73,375/– और पाई गई। समस्त दस्तावेज उक्त व्यवसायी के नाम पर बने हुये है। इस प्रकार वाहन चालक के पास वाहन में लदे माल के लिये एक ही क्रमांक की दो बिल्टियां व एक ही क्रमांक के दो बिल भिन्न भिन्न कीमत व वजन के पाये गये। वाहन चालक से पूछे जाने पर वाहन चालक ने बताया कि समस्त दस्तावेज मैसर्स एम.जे.ट्रेडिंग कम्पनी, मुम्बई द्वारा मैसर्स संजीव इण्डस्ट्रीयल कारपोरेशन, जयपुर को लेने के लिये दिये गये थे। अतः संदेह होने के कारण वाहन मे लदे माल को अधिनियम की धारा 78(4)(बी) के तहत अभिगृहित कर कब्जे में लिया गया एवं लदे माल का तौल करावाकर कांटा पर्ची पेश करने के निर्देश दिये गये। वाहन में लदा माल का वजन 10110 कि.ग्रा. पाया गया। इसके पश्चात् व्यवहारी को नोटिस जारी किया गया कि वाहन में लदे माल के संबंध में दोहरे दस्तावेजों का कारण स्पष्ट करें। व्यवहारी द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया कि ट्रक में

लगातार.....2

लादने की अधिकतम सीमा 9 टन होने के कारण परिवहन विभाग द्वारा संभावित चालान से बचने के लिये दस्तावेज तैयार किये गये। सशक्त अधिकारी ने जवाब से असंतुष्ट होकर धारा 78(2)(4) के प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुये परिवहनित माल कीमतन 2,73,375/– पर शास्ति रुपये 54,675/– अपने आदेश दिनांक 12.10.1998 के द्वारा आरोपित की गई। सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध, प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश करने पर, अपीलीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 11.05.2009 द्वारा आरोपित शास्ति को अपास्त कर दिया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलीर्थी–विभाग द्वारा यह अपील पेश की गई है।

3. विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध है एवं सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए, उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

4. बहस के दौरान अधिकृत प्रतिनिधि ने कथन किया कि सशक्त अधिकारी ने शास्ति बिना किसी जांच के आरोपित की है। व्यवहारी द्वारा दिनांक 07.10.1998 को प्रस्तुत जवाब में बिल व बिल्टी के संबंध में कोई त्रुटि नहीं की है। उन्होंने यह भी कथन किया कि व्यवहारी द्वारा 10110 कि.ग्रा. की टिन शीट्स क्रय की है और इसी वजन की शीट्स ट्रक में पाई गई, लेकिन म.प्र. एवं राजस्थान में ओवरलोड की अनुमति नहीं होने के कारण एक ही क्रमांक की दो बिल बिल्टियां बनाई गई व वजन में भी अन्तर रहा। व्यवहारी के स्तर पर करापवंचन की कोई मंशा नहीं थी। टिन शीट्स रॉ मैटेरियल है और टिन निर्माण के काम आता है। व्यवहारी की इसमें करापवंचन की मंशा नहीं थी। अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने राजस्थान कर बोर्ड द्वारा पूर्व पारित निर्णय मै0 सोनी पेपर कोन्स जयपुर बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी (1999) 4 सेल्स टैक्स टुडे पेज 125 प्रस्तुत करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

5. उभयपक्ष की बहस सुनी गई, पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया तथा उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त का ससम्मान अध्ययन किया गया। रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवहनित माल के दोहरे दस्तावेज जो समान क्रमांक के हैं, एक ही व्यवहारी के दो बिलों के क्रमांक समान नहीं हो सकते हैं। इसी प्रकार ट्रांसपोर्टर की दो बिल्टियों के क्रमांक समान नहीं हो सकते हैं। यह कूट रचित दस्तावेजों का स्वयं सिद्ध प्रकरण है। माल प्रभारी का यह कथन किसी भी प्रकार से मान्य नहीं हो सकता है कि दूसरे विभाग से बचने के लिए दोहरे दस्तावेज तैयार किये गये। अतः कूटरचित दस्तावेजों में परिवहनित मार्गस्थ माल पर सशक्त अधिकारी द्वारा शास्ति आरोपण में कोई त्रुटि नहीं की जानी पाई गई है।

6. फलतः अपीलीय अधिकारी के आदेशों को अपास्त करते हुए शास्ति आरोपण की पुष्टि की जाती है, एवं विभाग की अपील स्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(खेमराज)
अध्यक्ष